



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग लखनऊ

संख्या 540 - का०वि०नी० एवं वे०प्र० - 29 / पाकालि / 2012 - 04 वे०प्र० - 30 / 2004 दिनांक 28 जून, 2012

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक मण्डल की दिनांक 15 जून, 2012 को सम्पन्न नब्बे वीं (50)/12 बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्वारा निम्नवत् आदेश किये जाते हैं :-

- 1- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० (मुख्यालय), शक्ति भवन में कार्यरत् समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी (लेखा) एवं अपर निजी सचिव को दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सम्प्रति अनुमन्य वेतन बैण्ड-2 (9300-34800) एवं सादृश्य ग्रेड-वेतन रु० 4200/- के स्थान पर उ०प्र० शासन के आदेश सं० 2065/बीस-1-ई-2011-516/96टी०सी०-7(सी) दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 की अनुरूपता में वेतन बैण्ड-2 (9300-34800) एवं उसके सादृश्य ग्रेड-वेतन रु० 4800/- अनुमन्य किया जाता है।
- 2- उपरोक्त आदेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 से प्रभावी होंगे तथा केवल वेतन निर्धारण का लाभ प्रदान किया जायेगा एवं इसके फलस्वरूप इस आदेश के निर्गमन की तिथि तक कोई एरियर देय नहीं होगा।
- 3- उपरोक्त ग्रेड-वेतन की अनुमन्यता किसी अन्य संवर्ग हेतु उदाहरण नहीं माना जायेगा।
- 4- कार्यालय ज्ञाप सं० 175-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/09-17 काविनी एवं वे०प्र०/08 दिनांक 19 फरवरी, 2009 की संगत व्यवस्थायें उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेंगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

सं० 540 -(1) का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2012 तदुदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 5- समस्त निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, बी-17, जे० रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।

(क्रमशः.....2)

- 7- मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9- अनु सचिव (स० प्र०-लेखा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 10- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 11- सचिव, उ० प्र० राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 12- समस्त अधिकारी, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० (मु०), शक्ति भवन, लखनऊ।
- 13- कम्पनी सचिव, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० को निदेशक मण्डल की दिनांक 15 जून, 2012 को सम्पन्न नब्बे (50)/12 बैठक में लिये गये निर्णय के सन्दर्भ में।
- 14- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,


(आर० के० श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव (का० वि० नी०)
(मु०)